Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, APRIL-MAY, 2021, VOL-9/45

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रौढ़ शिक्षा

बृजेश कुमार पाण्डेय, Ph. D.
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, संत विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया, उ0प्र0

Paper Received On: 25 MAY 2021
Peer Reviewed On: 30 MAY 2021
Published On: 1 JUNE 2021

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शिक्षा मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। शिक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त ज्ञान तथा कौशल के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण को उन्नत बनाता है तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक उन्नति में शिक्षा का अत्यन्त सार्थक योगदान होता है। लोकतन्त्र राष्ट्र में शिक्षा के द्वारा कम से कम तीन लाभ सम्भव है। प्रथम, शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन की समस्याओं का समाधान उचित ढंग से कर सकता है, जिससे वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहकर राष्ट्र की मानव शक्ति, उत्पादन शक्ति में अधिक योगदान कर सके। द्वितीय शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से समझकर उनका निर्वहन कर सकेगा तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा, जिससे वह अन्याय व धोखाधड़ी से बच सकेगा। तृतीय शिक्षित व्यक्ति अपने रोजगार के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगा, जिससे उसकी व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति होगी तथा राष्ट्रीय आय में बृद्धि होगी। इन तीनों लाभ को ध्यान में रखकर ही शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाती है, परन्तु यह औपचारिक शिक्षा संस्थान अर्थात् प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्थान सामान्यतः 6 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व उठाते हैं, परन्तु समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग होता है जो अनेकों प्रकार के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अथवा अन्य कारणों की वजह से इस शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है तथा अधिक आयु जो जाने के के कारण शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रह पाता है।

प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की एक ऐसी विधि है, जिसके माध्यम से उन व्यक्तियों के ज्ञान–कौशल या अभिवृत्तियों आदि में परिवर्तन लाया जाता है जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सके हैं। लोकतंत्र की सफलता जन समूह की साक्षरता पर निर्भर करती है,

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

क्योंकि साक्षर या शिक्षित व्यक्ति ही जनतन्त्र, सामाजिक न्याय एवं उत्तरदायित्व आदि के सिद्धान्तों को समझ सकता है। स्त्री–पुरुषों को योग्य नागरिक बनाने, उनके जीवन को सार्थक बनाने, निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने तथा उन्हें दैनिक जीवन से सम्बन्धित बातों की सामान्य शिक्षा देने के लिए प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा जनता को स्वस्थ नागरिक, बुद्धिमान मतदाता, कुशल कारीगर एवं योग्य कलाकार बनाया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति का मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है, जिसके कारण समाज में उसका स्थान शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न होता है और उसका शोषण होता रहता है। अतः प्रौढ़ शिक्षा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है ताकि वे समानता और स्वतन्त्रता का अर्थ समझ सकें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

आज भी भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अँगूठा लगाकर काम चलाते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं है। स्वतन्त्रता के 73 वर्ष बाद भी हम निरक्षरता के कलंक को दूर नहीं कर सके। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव तथा शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण देश में निरक्षरता के प्रतिशत में बहुत कमी नहीं आयी है। देश में अनेक व्यक्ति कई कारणों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित व्यक्तियों की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक साधन है। इसके द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा सकता है तथा समाज के सफल सदस्य के रूप में उन्हें रहने योग्य बनाया जा सकता है।

अशिक्षा मानसिक दासता है और यदि हमें इस मानसिक दासता से छुटकारा मिल जाय तो हमारी आर्थिक दासता भी समाप्त हो जायेगी और हम तभी वास्तव में स्वतन्त्र हो सकेंगे, जिसकी आशा में हमने स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा और अन्त में 1947 में सफलता प्राप्त की। प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता के अभाव में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की उस सीमा एवं गति को प्राप्त करना असम्भव है, जिसकी हमें आवश्यकता है और न हमारे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के वह तत्त्व, गुणात्मक अथवा शक्ति मिल सकती है, जो मूल्य और हितकारिता की दृष्टि से उसे सार्थक बनायें। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रमों को सर्वोच्च स्थान ग्रहण करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा हमारे लिए जीवन–मरण का प्रश्न है। इस राष्ट्र को जीवित रखने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, समाज शिक्षा और अनवरत शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकेंगे और वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा के युग में अपना भौतिक विकास कर सकेंगे।

निरक्षरता सामाजिक कलंक है। निरक्षरता व्यक्ति एवं समाज के विकास में बाधक होती है। प्रौढ़ शिक्षा सन् 1949 में नया नाम समाज शिक्षा प्रदान किया गया। यूनेस्को सेमीनार ऑन रूरल एजूकेशन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि समाज शिक्षा पूर्ण मानव की शिक्षा है। यह उसे साक्षर करेगी, जिससे उसे संसार का ज्ञान होगा। प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना यह है कि प्रौढ़ जनता को ऐसी शिक्षा दी जाए, जिससे वह अपना जीवन बेहतर बना सके, प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकें। अपने को परम्परागत रुढ़ियों से बचा सकें और एक

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर सकें। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को सम्पूर्ण विश्व में महत्त्व दिया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा जनता को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की समुचित जानकारी दी जाती है। वर्तमान में जनता को केवल अपने अधिकारों का ध्यान है, कर्तव्यों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। आये दिन धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, तोड़फोड़ एवं ताला बन्दी आदि कारणों से है, जो लोकतन्त्र को विफल बनाने में संलग्न हैं। आज का वातावरण इतना अधिक दूषित हो चुका है कि यदि यही स्थिति बरकरार रही तो देश में लोकतन्त्र का विकल्प ढूंढना पड़ेगा।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत अनपढ़ प्रौढ़ अपने कार्य को करते हुए शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक तथा नैतिक विकास करता है, जिससे वह एक पूर्ण मनुष्य बन सके। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा शैक्षिक विकलांगों या शिक्षाविहीन व्यक्तियों के पुनर्वास का एक सामाजिक प्रयास है। प्रौढ़ शिक्षा एक बहु–उद्देश्य प्रत्यय है इसमें व्यवहारों के तीनों पक्षों– ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक के विकास के लिए क्रमशः साक्षरता प्रसार, चेतना जागृति व व्यवहारिक कुशलता में बृद्धि सम्मिलित है। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीाखना उद्घोष के अन्तर्गत राष्ट्रीय नीति 2020 के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीवकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति के निजी और पेशवराना, दोनों ही स्तरों पर बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करता है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षर दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसम्बन्ध होता है। भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होने साहित कार्यों की सराहना करने और साक्षरता की आवश्यकता जुड़े मध्यम या उच्चतर उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है। यहाँ सूची बद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

विश्व भर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीति, इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता, सम्बर्धन के साथ–साथ स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना है। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षतर मिशन की शुरूआत की गई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप देश में 1991–2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षतर सहित सम्पूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलकदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रोद्योगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को जल्द–जल्द लागू किया जायेगा, ताकि 100 प्रतिशत साक्षरता के सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके। प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम की संरचना इस तरह की होगी, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा एवं सतत शिक्षा शामिल हो। पाठ्यक्रम बनाते समय यह भी ध्यान रखा जायेगा कि कई मामलों में व्यस्कों को बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों और सामग्री की जगह भिन्न प्रकार की शिक्षण–अधिगम पद्धतियों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। बुनियादी ढाँचा इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल सकूल के घण्टों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल/स्कूल परिसरों का उपयोग, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकाल, स्थान जो जहाँ तक सम्भव हो, आईसीटी से सुसज्जित होंगे और अन्य सामुदायिक भागीदारी और सम्बर्धन गतिविधियों के लिए भी किया जाना होगा। प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढाँचे में वर्णित सभी प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों/शिक्षकों/प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ–साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों और ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। राज्य, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे।

समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में जो गैर नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों, जिसमें निश्क्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारें भी सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में सभी की जिस सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ–साथ और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं, पुस्तकों तक पहुँच हो व पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य के अन्दर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेन्सियाँ/संस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता एवं आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेगी। पुस्तकों की आनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। समुदायों एवं शिक्षण संस्थानों में जीवन्त पुस्तकालयों को बनाने एवं

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उनका सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित संख्या में पुस्तकालय स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसायिक विकास के लिए उचित कैरियर मार्ग बनाने एवं कैरियर प्रबन्धन डिजाइन करने की आवश्यकता है। विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल–पुस्तकालय एवं चल पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना। क्राउडसोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्ता पूर्ण प्रौद्योगिकी–आधारित टी0वी0 चैनले, आनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि विकसित किये जायेंगे। कई मामलों में गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन आनलाइन या मिश्रित मोड में विकसित किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से स्पष्ट होता है कि इसमें पूर्व के सभी आयोगों की अनुशंसाओं और अनुभवों को ध्यान में रखकर तथा अवलोकन, सर्वेक्षण और सुझावों को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसमें उन सभी बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया गया है जो इसके भौतिक और भारतीय दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाते हैं। गांधी जी ने सितम्बर, 1945 में नई प्रौढ़ शिक्षा समिति में कहा था कि जीवन के लिए शिक्षा का अर्थ जीवन काल के लिए शिक्षा से नहीं है, अपितु प्रौढ़ शिक्षा एक तरह से जीने की कला की शिक्षा है जो मानव को जीने की कला सीख लेता है, वह पूर्ण मानव बन जाता है। इस दृष्टि को सामने रखकर नई तालीम का आदर्श तुम्हारे काम को प्रेरणा देगा। पूरे प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव में गांधी जी के प्रौढ़ शिक्षा के आदर्श का दिग्दर्शन हो जाता है। गांधी जी ने कहा था यदि शिक्षा हमें राष्ट्र का सेवक नहीं बना सकती तो मैं इसकी उपयोगिता को नहीं मान सकता। जनता को विकास का अवसर चाहिए। लोकतंत्र की मुख्य शक्ति लोक शिक्षण में है। संगठित होकर समाज परिवर्तन का माध्यम बनता है। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के माध्यम से लोकशक्ति का व्यापक प्रशिक्षण सम्भव हो सकता है और राष्ट्र तथा समाज निर्माण में यह मील का पत्थर साबित हो सकेगा।

संदर्भ

राव, वी0के0आर0वी0, एजूकेशन एण्ड रिर्सोस डेवलपमेण्ट, एलाइड पब्लिकेशन, नई दिल्ली

तिवारी, धर्मव्रत, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रगति और समस्याओं का अध्ययन, लीला प्रकाशन, दिल्ली।

ठाकुर, जी0के0 एवं अन्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 : मसौदा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

जे0सी0 अग्रवाल, भारत में प्रौढ़ शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली।

एच0सी0 जैन, प्रौढ़ शिक्षा के आयाम : भारतीय परिप्रेक्ष्य में, नई दिल्ली।

नसीम अहमद, भारत में सतत् शिक्षा, ग्रन्थ अकादमी, नई दिल्ली।

बाजपेयी, एल0बी0, भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक प्रवृत्तियाँ, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।

गुप्ता, एस0पी0, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

पाण्डेय, रामसकल, उदयीमान समाज में शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language